

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
LOKNAYAK BHAWAN, NEW DELHI

PS-CPNCST/SITTING/MINUTES/RANCHI/JUNE/2015

15/6/2015

Subject: Minutes of the Sitting taken by Dr. Rameshwar Oraon, Hon'ble Chairperson, NCST at Ranchi on 02/06/2015 and 05/06/2015.

Minutes of the Sittings held at Ranchi, duly signed by the Hon'ble Chairperson, NCST in respect of following cases are sent herewith for necessary action of the NCST Secretariat.

- 1) Shri Nikhlesh Kumar Manjhi (File No. NKM/1/2015/STGJH/SEOTH/RU-III)
- 2) Shri Goerge Kujur and others matter of fraudulent selling of land.
(File No. Tour Programme/7/2014/RU-III)
- 3) Shri Gondra Oraon & others (File No. GO/1/2013/STGUL/DEOTH/RU-III)
- 4) Contesting of election of Chairman Nagar Panchayat Gumla, Shri Dhirendar Prasad Singh on the basis of fake ST Certificate.
(File No. TourFCC/1/2013/Jharkhand/RU-III)
- 5) Allotment of pattas to the Nageshia Tribals, Kisko Block, Lohardaga.
(File No. Tour Programme/6/2014/RU-III).



(T.D. Kukreja)
PS to Chairperson

~~JOINT SECRETARY, NCST~~

COPY TO NCST REGIONAL OFFICE, RANCHI.

757/CP/2015
15/6/2015

DM (R)

SSANIC
Per loading
on website.
15/6

(File No. NKM/I/2015/STGJH/SEOTH/RU-III)

Minutes of the meeting held on 02.06.2015 in Regional office of NCST, Ranchi in the matter of fake ST Certificates with reference to the petition submitted by Shri Nikhlesh Manjhi

श्री निखिलेश कुमार मांझी, ग्राम-पाराडीह, पो0-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची के द्वारा दायर परिवाद पत्र में उपायुक्त, खूँटी को अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया था। उपायुक्त, खूँटी ने अपरिहार्य कारण वश व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने की स्थिति में श्री देवेन्द्र भूषण सिंह, उप विकास आयुक्त, खूँटी को आयोग के समक्ष भाग लेकर पक्ष रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है जिसे स्वीकृत किया जाता है।

उप विकास आयुक्त, खूँटी द्वारा उपायुक्त के लिखित प्रत्युत्तर समर्पित किया है जो अभिलेख पर है। उप विकास आयुक्त द्वारा मौखिक रूप से पूरी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। लिखित जवाब एवं तथ्यों के अनुषीलन के पश्चात् उपायुक्त, खूँटी को यह सलाह दी जाती है कि आवेदक श्री निखिलेश कुमार मांझी से सम्पर्क कर उन्हें अपने कार्यालय में संबंधित प्रमाण दाखिल करने का अवसर दे। श्री मांझी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि इस विषय में जितनी सूचनाएँ उनके पास हैं, वे उपायुक्त, खूँटी को दे। तदोपरान्त उपायुक्त, खूँटी प्रमाण पत्र जाँच की कारवाई करें, अग्रतर कारवाई सुनिश्चित करेंगे।

रामेश्वर उरांव

डॉ. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

NATIONAL COMMISSION FOR SCOTED TRIBES
(In Hindi)

Date: 21/06/2025

Sl. No.	Name & Designation	Contact No.	Signature
1.	Dr. Rajeshwar Prasad Chairperson		
2.	Devendra Chandra Singh Member	09421326457	D. N. Singh
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

(File No. TOUR PROGRAMME/7/2014/RU-III)

Minutes of the meeting held on 02.06.2015 in Regional office of NCST, Ranchi in the matter of fraudulent selling of land of Shri Goerge Kujur and others.

श्री जार्ज कुजूर, जोन कुजूर, नेलसन कुजूर, अमोद मसीह कुजूर इन चारों के पिता—स्व० नैमन उरॉव, ग्राम—खडियापाडा वार्ड नं०—8 पो०—गुमला, थाना—गुमला, जिला—गुमला के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में उपायुक्त, गुमला के द्वारा बताया कि प्रश्नगत जमीन खाता नं०—4 प्लॉट नं०—930 रकबा—2ण्23 डिसमील जमीन को गलत तरीके से श्री सामु गोप, पिता—स्व० बुचु अहीर के नाम से जमाबंदी कायम हो गया है। जाँच के क्रम में यह पाया गया है कि अवैध तरीके से आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम जमाबंदी कायम हो कर दाखिल—खारिज भी हो गया है। उपायुक्त, गुमला के द्वारा बताया गया कि जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है एवं दाखिल—खारिज को भी रद्द करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में वाद चल रहा है। अगले एक—दो महीने के अन्दर जमाबंदी रद्द करने एवं दाखिल—खारिज रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त के द्वारा यह भी बताया गया कि प्रश्नगत जमीन पर आवेदकों का शांतिपूर्ण दखल—कब्जा है। उपर्युक्त आवेदक मेरे गुमला प्रवास के समय मुझ से मुलाकात भी किये।

रामेश्वर उरॉव

डॉ. रामेश्वर उरॉव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(File No. GO/1/2013/STGUL/DEOTH/RU-III)

Minutes of the meeting held on 02.06.2015 in Regional office of NCST, Ranchi in the matter of Petition of Shri Gondra Oraon, Vill. Sarna Toli, Distt. Gumla, Jharkhand.

श्री गोन्दरा उराँव, पिता-स्व० मलहम उराँव, ग्राम-सरना टोली, पालकोट रोड गुमला द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई किया गया, खाता नं०-20, प्लॉट नं०-836ए 837 कुल रकबा 1.37 डिसमील जमीन पर एग्रोपार्क, गुमला का निर्माण किया गया है। जिसका क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हुई है। सुनवाई के समय उपायुक्त गुमला के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन का अधिग्रहण तो हुआ है परन्तु अधिग्रहण से संबंधित मूल अभिलेख अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से जमीन का मुआवजा श्री गोन्दरा उराँव के पूर्वजों को मिला है कि नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त, गुमला के द्वारा एक माह का समय मांगा गया है ताकि इस अवधि में वांचित दस्तावेज उपलब्ध कर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाएगा।


उपायुक्त, गुमला ने बताया कि एग्रोपार्क से बाहर की जमीन जिस पर श्री गोन्दरा उराँव का कब्जा है, वह उनका है और जिला प्रशासन को उससे कोई लेना-देना नहीं। अतः वह उस जमीन पर स्वतंत्र रूप से काम करें।

रामेश्वर उराँव
Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt of India
नई दिल्ली/New Delhi

(File No. TOUR FCC/1/2013/JHARKHAND/RU-III)

Minutes of the meeting held on 02.06.2015 in Regional office of NCST, Ranchi in the matter of contesting of election by Shri Dhirendar Prasad Singh of Chairman, Nagar Panchayat, Gumla on the basis of fake ST Certificate.

श्री धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता— श्री युधिष्ठिर प्रसाद सिंह, ग्राम—पगार, थाना—केरेडारी, जिला—हजारीबाग जिसमें फर्जीदारी प्रमाण—पत्र के आधार पर अध्यक्ष नगर पंचायत के पद पर निर्वाचित हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड के द्वारा अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त गुमला के द्वारा बताया गया कि श्री सिंह पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुमला नगर थाना में प्राथमिक दर्ज करा दिया गया है एवं फर्जी जाति प्रमाण—पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपायुक्त, हजारीबाग एवं उपायुक्त, बोकारो को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गुमला को सलाह दी जाती है कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर श्री सिंह के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई कानून सम्मत करें।




डॉ. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(File No. TOUR PROGRAMME/6/2014/RU-III)

Minutes of the meeting held on 05.06.2015 in Regional office of NCST, Ranchi in the matter of claim for allotment of pattas to the Nageshia Tribals Kisko Block, Lohardaga.

दिनांक 02.06.2015 में होने वाली बैठक, दिनांक 05.06.2015 को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनु0 जनजाति आयोग, अध्यक्षता में परिसदन भवन, लोहरदगा में बैठक किया गया जिसमें श्री मंजुनाथ भजंता, उपायुक्त, लोहरदगा, डा0 कृष्णादेव प्रसाद साहु, प्रभागीय वन अधिकारी, लोहरदगा एवं श्रीमती संगीता शरण, जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा ने भाग लिया। जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा ने सूचित किया कि किस्को प्रखण्ड के 9 (नौ) लाभुक के नाम को अनुमंडल स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा दिनांक 15.05.2015 को आयोजित बैठक में वन भूमि पट्टा हेतु अनुशंसा की है। दिनांक 16.05.2015 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव रखा गया था परान्तु कुछ त्रुटियों के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी। वर्तमान में इन त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है। जिला स्तरीय समिति की अगली बैठक में वन पट्टा देने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

DWO, Lohardaga has submitted a status of implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest rights) Act. 2006 in Jharkhand State. (copy enclosed) . DWO has further informed that from June, 01-14 Prachar Rath will visit to different villages and market to create awareness among the tribals. Three month's target has been fixed to create awareness in all the Gram panchayats of the Dist.



डॉ. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Dr. Sahu, DFO, Lohardaga has suggested that Agriculture Deptt. and Irrigation Deptt. should also be involved to increase the productivity of the farmers.

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उपायुक्त एवं डी.एफ.ओ. को सलाह दी कि वे लोहरदगा जिला के ऐसे आदिवासी एवं अन्य वनवासी (Scheduled Tribes and other Forest Dwellers)को जिनका अधिकार बनता है को चिन्हित कर पट्टा निर्गत करने की कारवाई करें।

रामेश्वर ओराण

डॉ. रामेश्वर उराण/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Regional Office

रा. अ. सं. १००/१९९९/१९९९/१९९९/१९९९/१९९९

Sl. No.	Name & Designation	Contact No.	Signature
1	Dr.		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	...		
16	...		
17	...		
18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	...		
24	...		
25	...		
26	...		
27	...		
28	...		
29	...		
30	...		
31	...		
32	...		
33	...		
34	...		
35	...		
36	...		
37	...		
38	...		
39	...		
40	...		
41	...		
42	...		
43	...		
44	...		
45	...		
46	...		
47	...		
48	...		
49	...		
50	...		
51	...		
52	...		
53	...		
54	...		
55	...		
56	...		
57	...		
58	...		
59	...		
60	...		
61	...		
62	...		
63	...		
64	...		
65	...		
66	...		
67	...		
68	...		
69	...		
70	...		
71	...		
72	...		
73	...		
74	...		
75	...		
76	...		
77	...		
78	...		
79	...		
80	...		
81	...		
82	...		
83	...		
84	...		
85	...		
86	...		
87	...		
88	...		
89	...		
90	...		
91	...		
92	...		
93	...		
94	...		
95	...		
96	...		
97	...		
98	...		
99	...		
100	...		

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

प्रस्ताव - किस्को

क्र०	समूह का नाम	ग्राम / पंचिका का नाम	ग्राम	प्रकार	आवासीय	प्लॉट	रकबा	अनुसूचित
1	मण्डल नरसिंहिया	पंचिका कल्याण नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	0.73	अनुसूचित जाति का आवासीय प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।
2	खानवाला नरसिंहिया	पंचिका मण्डल नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	0.78	अनुसूचित जाति का आवासीय प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।
3	पंचायत नरसिंहिया	ग्राम नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	0.80	अनुसूचित जाति का आवासीय प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।
4	सुन्दर नरसिंहिया	ग्राम नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	0.69	प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।
5	शक्तिपुर नरसिंहिया	ग्राम खानवाला नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	0.71	अनुसूचित जाति का आवासीय प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।
6	सुन्दर नरसिंहिया	ग्राम नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	1.00	अनुसूचित जाति का आवासीय प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।
7	सुन्दर नरसिंहिया	ग्राम नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	1.25	अनुसूचित जाति का आवासीय प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।
8	सुन्दर नरसिंहिया	ग्राम नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	0.73	अनुसूचित जाति का आवासीय प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।
9	सुन्दर नरसिंहिया	ग्राम नरसिंहिया	पंचायत बरतारामपुरा	पंचायत	255	651	1.00	अनुसूचित जाति का आवासीय प्लॉट का नाम 'अनुसूचित' है।

दिनांक 15/05/2015

 क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

STATE OF JHARKHAND राज्य अनुसूचित जात आयोग, राँची

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	शिक्षण	व्यक्तिगत विवरण	व्यक्तिगत विवरण	व्यक्तिगत विवरण	व्यक्तिगत विवरण
1	श्री. राजेश कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
2	श्री. विजय कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
3	श्री. सुधीर कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
4	श्री. अशोक कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
5	श्री. विवेक कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
6	श्री. अमित कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
7	श्री. अजय कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
8	श्री. अशोक कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
9	श्री. अशोक कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात
10	श्री. अशोक कुमार	श्री. राम प्रसाद	पंचायत, राँची	बि. ए.	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात	अनुसूचित जात


 30/05/2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
 Attendance Sheet

Date: 23-06-2015 Time: 11:00 AM

Sl. No.	Name & Designation	Contact No.	Signature
1	Dr. Rameshwar Chandra Chairperson		
2	Gyan Chandra Singh Member	9830145002	[Signature]
3	Shri. Sanjay Singh	9830145002	[Signature]
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			